रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 601] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2000/भाद्र 23, 1922

No. 601] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2000/BHADRA 23, 1922

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2000

का.आ. 827(अ).—मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 2 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ 1 नवम्बर, 2000 को नियत दिन के रूप में निश्चित करती है।

[सं. 12012/42/2000-एसआर]

आर० के० सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2000

S.O. 827(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 2 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (28 of 2000), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 2000, as the appointed day for the purposes of that Act.

[No. 12012/42/2000-SR]

R. K. SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2000

का.आ. 828(अ).—उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 2 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ 1 नवम्बर, 2000 को नियत दिन के रूप में निश्चित करती है।

[सं. 12012/42/2000-एसआर]

आर० के० सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2000

S.O. 828(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 2 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (29 of 2000), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 2000, as the appointed day for the purposes of that Act.

[No. 12012/42/2000-SR]

R. K. SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2000

का.आ. 829(अ).—बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 2 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ 15 नवम्बर, 2000 को नियत दिन के रूप में निश्चित करती है।

[सं. 12012/42/2000-एसआर]

आर० के० सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2000

S.O. 829(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 2 of the Bihar Reorganisation Act, 2000 (30 of 2000), the Central Government hereby appoints the 15th day of November, 2000, as the appointed day for the purposes of that Act.

[No. 12012/42/2000-SR]

R. K. SINGH, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.